

परिशिष्टियाँ



परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.3, 1.3 और 1.4.3; पृष्ठ 03, 10 और 16)

30 सितम्बर 2023 तक उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार रा सा क्षे उ की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखों की अवधि	चुकता शेषर पूजा (शेषर आवेदन राशि सहित)	दीर्घकालिक ऋण	वित्त लागत और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि (-) <sup>1</sup>	वित्त लागत और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (-)	वित्त लागत	टर्नओवर	नियोजित पूजा	निवल संपत्ति	मुक्त संचय/संचित लाभ/हानि(-)	कुल संपत्ति
क	ऊर्जा क्षेत्र रा सा क्षे उ											
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1529.91	1243.02	-1050.42	-1223.64	150.37	8554.30	-2515.14	-3758.16	-5288.07	8237.14
2	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	723.88	1074.63	109.31	21.87	82.31	372.68	2140.18	1065.55	341.67	2997.9
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	1396.50	2113.85	274.28	115.64	147.52	1009.51	4840.62	2726.77	1330.27	8272.46
4	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	18.22
	<b>ऊर्जा क्षेत्र का योग (क)</b>		<b>3660.29</b>	<b>4431.50</b>	<b>-666.83</b>	<b>-1086.13</b>	<b>380.20</b>	<b>9936.49</b>	<b>4475.66</b>	<b>44.16</b>	<b>-3616.13</b>	<b>19525.72</b>
ख	अन्य क्षेत्र रा सा क्षे उ											
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	4.00	0.00	6.29	4.52	0.00	107.72	19.57	19.57	15.57	150.35
6	डॉईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	6.00	131.14	5.33	-16.59	21.92	99.92	-304.51	-435.65	-441.65	105.66
7	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	17.99	119.32	38.61	20.26	18.35	207.40	-157.09	-276.41	-294.40	152.91

1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, वित्त लागतों को (अ) ब्याज व्यय (ब) अन्य उधार लागत, और (स) विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण पर लागू शुद्ध लाभ / हानि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र का नाम	लेखों की अवधि	चुक्ता शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि सहित)	दीर्घकालिक ऋण	वित्त लागत और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि (-) <sup>1</sup>	वित्त लागत और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (-)	वित्त लागत	टर्नओवर	नियोजित पूंजी	निवल संपत्ति	मुक्त संचय/संचित लाभ/हानि(-)	कुल संपत्ति
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	1.00	0.00	9.76	9.76	0.00	499.51	78.72	78.72	77.72	125.77
9	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	0.10	0.00	-0.06	-0.06	0.00	0.00	-3.06	-3.06	-3.16	24.27
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	373.24
11	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2021-22	1.07	0.00	0.19	0.16	0.00	11.54	1.50	1.50	0.43	4.99
12	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2021-22	4.08	19.50	-2.65	-4.82	2.17	43.42	-6.10	-25.60	-29.68	78.89
13	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	13.42	0.43	-0.37	-1.51	1.14	100.49	13.18	12.75	-0.67	77.49
14	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	6.64	9.79	-7.64	-7.93	0.29	192.36	29.24	19.45	12.81	110.81
15	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	28.50	196.15	20.65	5.91	6.95	16.77	622.88	426.73	398.23	2064.72
16	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	16.51	2.47	-1.91	-1.97	0.06	0.94	21.46	18.99	2.48	79.07
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2.65	10.90	1.01	0.89	0.12	0.34	14.68	3.78	1.13	21.60
18	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	238.60	30.54	-3.87	-3.87	0.00	478.89	-262.58	-293.12	-531.72	1001.08

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र का नाम	लेखों की अवधि	चुकता शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि सहित)	दीर्घकालिक ऋण	वित्त लागत और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि (-) <sup>1</sup>	वित्त लागत और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (-)	वित्त लागत	टर्नओवर	नियोजित पूंजी	निवल संपत्ति	मुक्त संचय/संचित लाभ/हानि(-)	कुल संपत्ति
19	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	0.00	75.47	-10.95	-19.30	8.35	152.00	-232.09	-307.56	-307.56	7361.38
20	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	0.00	0.00	48.65	48.65	0.00	705.12	507.99	507.99	507.99	1137.36
21	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	0.37	0.00	5.81	3.68	0.00	16.26	26.64	26.64	26.27	37.27
	<b>अन्य क्षेत्रों का योग (ख)</b>		<b>341.33</b>	<b>595.71</b>	<b>108.84</b>	<b>37.78</b>	<b>59.35</b>	<b>2632.68</b>	<b>370.83</b>	<b>-224.88</b>	<b>-566.21</b>	<b>12906.86</b>
	<b>कुल योग (क +ख )</b>		<b>4001.62</b>	<b>5027.21</b>	<b>-557.98</b>	<b>-1048.35</b>	<b>439.55</b>	<b>12569.17</b>	<b>4846.49</b>	<b>-180.72</b>	<b>-4182.34</b>	<b>32432.58</b>

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.5; पृष्ठ 09)

रा सा क्षेत्र 3 के जिस अवधि के लिए उनके लेखे बकाया थे, में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश और प्रदान की गई अन्य बजटीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र 3 का नाम	लेखों की अवधि	वह अवधि जिसके लिए लेखा बकाया है	अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार शेष आवेदन राशि सहित चुकता पूंजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया थे				योग	
					इक्विटी	ऋण	अनुदान और उपदान	जारी की गई गारंटी		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	
<b>सरकारी कम्पनियां</b>										
1	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.2	0	0	95.50	0	95.50	
2	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1.00	0	0	0	0	0.00	
3	डोईवाला श्रुंगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	6.00	0	0	61.91	77	138.91	
4	किच्छा श्रुंगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	17.54	0	0	36.40	116.00	152.40	
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	2021-22 to 2022-23	4.00	0	0	0	0	0.00	
6	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1.07	0	0	0	0	0.00	
7	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1.20	0	0	0	0	0.00	
8	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19 to 2022-23	26.00	0	0	87.52	0	87.52	
9	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 to 2022-23	6.64	0	0	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	0.00	
10	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 to 2022-23	13.42	0	0	0	0	0.00	
11	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13 to 2022-23	11.66	5.80	0	0.60	0	6.40	

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखों की अवधि	वह अवधि जिसके लिए लेखा बकाया है	अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार शेष आवेदन राशि सहित चुकता पूंजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया थे				योग
					इकित्ती	ऋण	अनुदान और उपदान	जारी की गई गारंटी	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
12	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2009-10 to 2022-23	2.65	7.35	0.00	7.00	0	14.35
13	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए	2020-21 to 2022-23	-	0	0	0	0	0.00
14	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए	2017-18 to 2022-23	-	0.05	0	0	प्रदान नहीं किया गया	0.05
	<b>योग</b>			<b>91.38</b>	<b>13.20</b>	<b>0</b>	<b>288.93</b>	<b>193.00</b>	<b>495.13</b>
<b>सांविधिक निगम</b>									
16	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	2020-21 to 2022-23	229.36	0	46.17	65.29	0	111.46
17	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	2022-23	0	0	0	1792.51	0	1792.51
18	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	2021-22 to 2022-23	0	0	0	2	0	2.00
19	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	2019-20 to 2022-23	0.185	0	0	0	0	0.00
	<b>योग</b>			<b>229.545</b>	<b>0</b>	<b>46.17</b>	<b>1859.80</b>	<b>0</b>	<b>1905.97</b>
	<b>कुल योग</b>			<b>320.925</b>	<b>13.20</b>	<b>46.17</b>	<b>2148.73</b>	<b>193.00</b>	<b>2401.10</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.1.3, पृष्ठ 23)

बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखें बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या	कंपनी की स्थिति
1	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
2	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
3	डोईवाला शहर कंपनी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
4	किच्छा शहर कंपनी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	02	कार्यरत
6	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
7	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
8	स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	05	कार्यरत
9	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	06	कार्यरत
10	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2006-07 से 2022-23	17	कार्यरत
11	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2012-13 से 2022-23	11	कार्यरत
12	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2009-10 से 2022-23	14	कार्यरत
13	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
14	इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	कार्यरत
<b>योग</b>			<b>70</b>	
<b>निष्क्रिय रा सा क्षे उ</b>				
15	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएन लिमिटेड की सहायक)	1987-88 से 2022-23	36	गैर-कार्यरत
<b>योग</b>			<b>36</b>	

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखें बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या	कंपनी की स्थिति
<b>परिसमापन के अधीन रा सा क्षे उ</b>				
16	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड		सूचना उपलब्ध नहीं है	
17	कुमट्रॉन लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)		सूचना उपलब्ध नहीं है	
18	उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)		सूचना उपलब्ध नहीं है	
19	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)		सूचना उपलब्ध नहीं है	
20	यू पी ए आई		सूचना उपलब्ध नहीं है	
21	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (केएमवीएन लिमिटेड की सहायक)	2001-02 से 2006-07	6	
22	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (केएमवीएन लिमिटेड की सहायक)	1997-98 से 2006-07	10	
23	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (जीएमवीएन लिमिटेड की सहायक)	2009-10 से 2011-12	3	
<b>योग</b>				
<b>19</b>				
<b>सांविधिक निगम</b>				
24	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2020-21, 2021-22, 2022-23	03	कार्यरत
25	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2022-23	01	कार्यरत
26	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2021-22, 2022-23	02	कार्यरत
27	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23	04	कार्यरत
<b>योग</b>				
<b>10</b>				
<b>कुल योग</b>				
<b>135</b>				

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3 और 2.3.1, पृष्ठ 26 और 27)

रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान सी ए जी की जारी टिप्पणियों का विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	लेखाओं की संख्या
	<b>सरकारी कंपनियाँ</b>		
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	02
2.	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	02
3.	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	02
4.	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	2021-22	01
5.	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	2021-22	01
6.	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	01
7.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	01
8.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम	2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09	04
9.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	01
10.	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	01
11.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	01
12.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	01
	<b>योग</b>		<b>18</b>
	<b>सांविधिक निगम</b>		
13.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20	04
14.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	03
15.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	01
16.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	01
	<b>योग</b>		<b>09</b>
	<b>कुल योग</b>		<b>27</b>

## परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1, पृष्ठ 27)

रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 के दौरान जारी सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
<b>क. सरकारी कंपनियाँ</b>				
<b>हानि का कम होना</b>				
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	12.54	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए जारी किए गए ₹ 12.54 करोड़ के अनुपूरक बिलों का लेखा-जोखा न रखने के परिणामस्वरूप बिजली की क्रय लागत और चालू देनदारियों में से प्रत्येक में ₹ 12.54 करोड़ से कम दर्शाए गए। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक कम करके आंका गया।
			15.21	कंपनी ने उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (उ वि वि आ) द्वारा जारी निष्पादन मानक के विनियम, 2007 का अनुपालन न करने के कारण उपभोक्ताओं को देय क्षतिपूर्ति के प्रावधान के रूप में ₹ 15.21 करोड़ लेखांकन नहीं किए हैं। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और अन्य प्रशासनिक व्ययों में से प्रत्येक में ₹ 15.21 करोड़ की कमी आई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक कम करके आंका गया।
			1.27	₹ 1.27 करोड़ मूल्य का स्क्रेप/क्षतिग्रस्त माल को पूंजीगत इन्वेंटरी में शामिल किया गया था। इस इन्वेंटरी के मूल्य में कमी के लिए लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत इन्वेंटरी को अधिक दर्शाया गया तथा इन्वेंटरी के मूल्य में ₹ 1.27 करोड़ की कमी के लिए प्रावधान को कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक कम करके आंका गया।
2.	डोईवाला शूगर कंपनी लिमिटेड	2021-22	0.86	कंपनी ने नकद ऋण सीमा के लिए उत्तराखण्ड सरकार को देय गारंटी शुल्क की राशि ₹ 0.86 करोड़ नहीं दी थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 'अल्पकालिक प्रावधानों' के साथ-साथ 'हानि' को ₹ 0.86 करोड़ तक कम कर दिया गया।
3.	किच्छा शूगर कंपनी लिमिटेड	2021-22	0.33	कंपनी ने नकद ऋण सीमा के कारण उत्तराखण्ड सरकार को देय गारंटी शुल्क की राशि के रूप में ₹ 0.33 करोड़ कम प्रदान किए थे। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 'अल्पकालिक प्रावधानों' के साथ-साथ 'हानि' को ₹ 0.33 करोड़ तक कम कर दिया गया।

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
4.	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	33.29	कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार एल आई सी द्वारा यथा निर्धारित उपदान के प्रति देयता का अल्प प्रावधान किया था। ₹ 36.02 करोड़ के योगदान की माँग की तुलना में, कंपनी ने एल आई सी को ₹ 2.73 करोड़ का भुगतान किया है। इसके परिणामस्वरूप हानि और चालू देनदारियों में से प्रत्येक में ₹ 33.29 करोड़ की कमी आई।
<b>योग</b>			<b>63.50</b>	
<b>लाभ का अधिक होना</b>				
1.	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	29.51	कंपनी ने 30 मार्च 2023 को जारी उ वि वि आ के टैरिफ आदेश के अनुपालन में उ पा का लि और एच पी सी एल को देय ₹ 29.51 करोड़ की राशि प्रदान नहीं की। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों और परिचालन और प्रत्यक्ष व्यय में ₹ 29.51 करोड़ की कमी आई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'लाभ' को भी उसी सीमा तक अधिक करके आंका गया था।
2.	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22	71.63	उ वि वि आ द्वारा अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (2020-21 का डूइंग अप) तक शुरू होने वाली बारह समान किस्तों में ₹ 71.63 करोड़ (उ पा का लि ₹ 62.97 करोड़ और एच पी सी एल ₹ 8.66 करोड़) वापस करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, लेखा बहियों में ₹ 71.63 करोड़ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों को कम करके आंका गया और लाभ को ₹ 71.63 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।
<b>योग</b>			<b>101.14</b>	
<b>लाभ का कम होना</b>				
1.	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	2.29	220 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, बरम, जिसे 31 मार्च 2023 तक चालू नहीं किया गया था, की लागत ₹ 84.11 करोड़ का संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में समावेश किया जाना, कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीति के विरुद्ध था। इसे पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.29 करोड़ का मूल्यहास भी भारत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अधिविवरण ₹ 81.82 करोड़ और मूल्यहास में ₹ 2.29 करोड़ और पूंजीगत कार्य प्रगति पर ₹ 84.11 करोड़ अल्पविवरण में हुआ। नतीजतन, वर्ष के लिए 'लाभ' भी ₹ 2.29 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
<b>योग</b>			<b>2.29</b>	

क्र. सं.		टिप्पणियों का सारांश		
क्र.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
<b>संपत्ति और देनदारियों का कम होना</b>				
1.	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	16.05	कंपनी ने व्यापारी परियोजना के शेष कार्यों के कारण ठेकेदारों को देय ₹ 16.05 करोड़ की राशि का लेखांकन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं के साथ-साथ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को ₹ 16.05 करोड़ कम दर्शाया गया है।
2.	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	36.52	31 मार्च 2023 से पहले निष्पादित चार परियोजनाओं के कार्यों से संबंधित ₹ 36.52 करोड़ के मूल्य भिन्नता बिलों का लेखा-जोखा न करने के परिणामस्वरूप प्रावधान में ₹ 36.52 करोड़ की कमी, पूंजीगत कार्य प्रगति पर ₹ 27.90 करोड़, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में ₹ 8.18 करोड़ और ₹ 44 लाख का मूल्यहास कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को ₹ 44 लाख से अधिक दर्शाया गया।
3.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	8.56	कंपनी ने दून एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र परियोजना से संबंधित ₹ 8.56 करोड़ का व्यय दर्ज नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति पर और अन्य दीर्घवधिक देयताओं (अप्रयुक्त अनुदान) में से प्रत्येक को ₹ 8.56 करोड़ कम दर्शाया गया है।
<b>योग</b>				
<b>संपत्ति और देनदारियों का अधिक होना</b>			<b>61.13</b>	
<b>योग</b>				
1.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	3.83	स्मार्ट स्कूलों के पूर्ण किए गए कार्यों के लिए उपयोग किए गए अनुदान और अप्रयुक्त अनुदान के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप 'अन्य दीर्घकालिक देयताओं' (अप्रयुक्त अनुदान) के साथ-साथ प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में प्रत्येक को ₹ 3.83 करोड़ अधिक दर्शाया गया।
<b>योग</b>				
<b>ख. सांविधिक निगम</b>			<b>3.83</b>	
<b>हानि का अधिक होना</b>				
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	1.00	निगम के नकद शेष में जब्त बैंक गारंटी (₹ 1.00 करोड़) और ऑटो स्वीप बैंक खाते (₹ 0.97 करोड़) एवं स्रोत पर कर कटौती (₹ 0.40 करोड़) से प्राप्त ₹ 2.37 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जिसे संबंधित खातों में दर्ज करने के स्थान पर गलती से सावधि जमा (एफ डी) से घटा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
				कोषागार के पास नकदी (एफ डी) में से ₹ 2.37 करोड़, अन्य आय में ₹ 1.00 करोड़, चालू देनदारियों में ₹ 0.40 करोड़ और बैंक के पास नकदी में ₹ 0.97 करोड़ का आधिक्यविवरण हुआ। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी ₹ 1.00 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।
			77.94	पहाड़ी क्षेत्रों में बसों के संचालन से होने वाली हानि के लिए ₹ 77.94 करोड़ सब्सिडी दावे की शेष राशि जो उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्य है, लेखांकन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों (सरकारी विभाग) को कम करके आंका गया और प्रत्येक की आय में ₹ 77.94 करोड़ की कमी आई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक अतिरंजित किया गया है।
			4.78	विशेष श्रेणी के यात्रियों को प्रदान की गई रियायत के विरुद्ध प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्य ₹ 4.78 करोड़ के दावे को लेखाओं में आय के स्थान पर चालू देयता के रूप में गलती से दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों का आधिक्यविवरण और अन्य आय में ₹ 4.78 करोड़ का कमविवरण दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' भी उसी सीमा तक अतिरंजित किया गया है।
<b>योग</b>			<b>83.72</b>	
<b>हानि का कम होना</b>				
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	8.05	निगम ने चालकों और परिचालकों के वेतन और मजदूरी, प्रोत्साहन राशि आदि के ₹8.05 करोड़ को लाभ-हानि खाते में जमा करने के स्थान पर यात्री सुविधा निधि में दर्ज कर दिया। इसके परिणामस्वरूप यात्री सुविधा निधि और परिचालन व्यय प्रत्येक के विवरण में ₹ 8.05 करोड़ कम दर्शाए गए। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी ₹ 8.05 करोड़ कम दर्शाया गया है।
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	50.42	निगम ने वर्ष 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार से लिए गए ऋण पर देय ₹ 50.42 करोड़ के ब्याज का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और ब्याज व्यय में से प्रत्येक में ₹ 50.42 करोड़ कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक कम करके दर्शाया गया था।
<b>योग</b>			<b>58.47</b>	

क्र. सं.	रा सा क्षे 3 का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
<b>लाभ का अधिक होना</b>				
1.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	14.87	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए खनन विभाग को देय ₹ 14.87 करोड़ (₹ 3.60 करोड़ की ब्याज राशि सहित) के डेड रेंट को शामिल न करने के परिणामस्वरूप देय व्ययों को कम करके और लाभ को ₹ 14.87 करोड़ अधिक दर्शाया गया। निर्माणाधीन निर्माण कार्यों में ₹ 7.00 करोड़ की लागत से चारदीवारी का पूरा हो चुका कार्य शामिल है। उसी को पूंजीकृत और मूल्यहास किया जाना चाहिए था। इन्हीं कार्यों के लिए 31 मार्च 2021 तक ₹ 0.59 करोड़ के बिल भी भुगतान के लिए देय थे, जिनका कोई लेखा नहीं था। इसके परिणामस्वरूप भवन का ₹ 7.59 करोड़ का अल्पविवरण और निर्माणाधीन निर्माण कार्यों पर ₹ 7.00 करोड़ का अधिक विवरण और वर्तमान देयताओं में ₹ 0.59 करोड़ का अल्पविवरण आया। इसके अतिरिक्त, उक्त भवन पर मूल्यहास न वसूलने के परिणामस्वरूप भवन का अधिक विवरण के साथ-साथ लाभ भी ₹ 1.10 करोड़ तक अधिक हो गया। निगम ने काफी पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से सामग्री की कमी के एवज़ में वसूली के लिए ₹ 1.99 करोड़ का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप जांचाधीन सामग्री की कमी को अतिरंजित कर और साथ ही लाभ और प्रावधान को ₹ 1.99 करोड़ कम करके दर्शाया गया है। संशोधित लाभांश नीति के अनुसार, कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, लाभांश का भुगतान करना अपेक्षित था। तदनुसार, उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम को 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 3.82 करोड़ का लाभांश देना था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों को कम करके दर्शाया गया और लाभ को ₹ 3.82 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।
2.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	3.82	
<b>योग</b>			<b>21.78</b>	
<b>संपत्ति और देनदारियों का कम होना</b>				
1.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	42.04	वर्ष 2021-22 के दौरान निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदारों को देय ₹ 42.04 करोड़ के रनिंग बिलों का लेखा-जोखा न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ प्रगतिरत कार्यों में से प्रत्येक को ₹ 42.04 करोड़ कम करके दर्शाया गया है।

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
2.			13.98	सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के उल्लंघन में, कार्य के विरुद्ध योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों को दिए गए अग्रिमों के कारण देय लेखाओं में से ₹ 13.98 करोड़ रुपए की कटौती, जिसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों में ₹ 13.98 करोड़ कम करके दर्शाया गया।
<b>योग</b>			<b>56.02</b>	
<b>संपत्ति और देनदारियों का अधिक होना</b>				
1.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	129.55	निगम ₹ 129.55 करोड़ की राशि के पूर्ण किए गए कार्यों को समायोजित करने में असफल रहा, जिन्हें विभिन्न एजेंसियों/विभागों को सौंप दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रगतिरत कार्यों के साथ-साथ प्रत्येक को सरकार से प्राप्त पूंजीगत अनुदान ₹ 129.55 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया।
<b>योग</b>			<b>129.55</b>	

## परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.2, पृष्ठ 29)

रा सा क्षे उ को दर्शाने वाला विवरण जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों ने ले मा का अनुपालन न करने की सूचना दी

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	ले मा/ भा ले मा जिनका अनुपालन नहीं किया गया
1	2	3	4
1	गढ़वाल मंडल विकास निगम	2016-17	ले मा-22, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 28
2	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	ले मा-12, 18, 1, 10, 9, 5

स्रोत: रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट।

## परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.2, पृष्ठ 29)

रा सा क्षे उ को दर्शाने वाला विवरण जिसमें सी ए जी द्वारा इंगित अनिवार्य ले मा/भा ले मा का अनुपालन नहीं किया गया

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	ले मा/ भा ले मा	अनिवार्य ले मा/ भा ले मा जिनका अनुपालन नहीं किया गया
1	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22	भा ले मा	भा ले मा-16
2	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	ले मा	ले मा-10, 26

स्रोत: रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर जारी रिपोर्टों से संकलित।

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 2.4, पृष्ठ 30)

रा सा क्षे उ को 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान जारी प्रबंधन पत्र दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	लेखाओं की संख्या	प्रबंधन पत्रों की संख्या
1	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2019-20 एवं 2020-21	2	13
2	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1	03
3	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	1	02
4	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	05
5	किच्छा श्रुगर कंपनी लिमिटेड	2021-22	1	02
6	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1	04
7	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	04
8	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	1	03
9	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	1	01
10	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2016-17 एवं 2017-18	2	06
11	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2005-06	1	02
12	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1	02
<b>योग</b>				<b>47</b>

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3.1, 3.4, 3.6.1 और 3.6.2; पृष्ठ 36, 37, 41 और 42)

रा सा क्षे 3 में स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों, बोर्ड बैठकों, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे 3 का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	चुकता पूँजी	टर्नओवर	समुच्चय बकाया ऋण, ऋणपत्र एवं जमाराशियाँ	क्या मानदण्ड पूरे किए गये	2022-23 में आयोजित निदेशक मण्डल बैठकों की संख्या	आवश्यकता के सापेक्ष वास्तविक उपलब्धता		आवश्यकता		
								स्वतंत्र निदेशक	2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशक की घोषणा स्थिति	लेखापरीक्षा समिति	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1529.91	8554.3	1243.02	हाँ	6	2	4	हाँ	हाँ	हाँ
2	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	723.88	372.68	1074.63	हाँ	5	2	1 <sup>2</sup>	हाँ	हाँ	हाँ
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	1396.5	1009.51	2113.85	हाँ	6	2	4	नहीं	हाँ	हाँ
4	किशाज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	10	0	0	हाँ	1	2	0	नहीं	नहीं	नहीं
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22	4	154.13	0	हाँ	2	2	0	नहीं	नहीं	नहीं
6	डोईवाला शुरार कम्पनी लिमिटेड	2022-23	6	120.31	446.55	हाँ	4	2	0	नहीं	हाँ	नहीं
7	किच्छा शुरार कम्पनी लिमिटेड	2022-23	17.99	164.35	373.52	हाँ	4	2	0	नहीं	नहीं	नहीं
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	1	576.37	0	हाँ	4	2	2	नहीं	हाँ	उपलब्ध नहीं किया गया

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	चुक्ता पूंजी	टर्नओवर	समुच्चय बकाया ऋण, ऋणपत्र एवं जमाराशियाँ	क्या मानदण्ड पूरे किए गये	2022-23 में आयोजित निदेशक मण्डल बैठकों की संख्या	आवश्यकता		आवश्यकता के				
								स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशक की घोषणा स्थिति	सापेक्ष वास्तविक उपलब्धता	स्वतंत्र निदेशक	लेखापरीक्षा समिति	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	
9	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	0.1	0	0	नहीं	4	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	0.4	0	0	नहीं	5	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	1.07	8.32	0	नहीं	4	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2022-23	4.08	41.92	19.57	नहीं	1	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2006-07	13.42	113.1	32.11	हाँ	4	स्वतंत्र निदेशक	2	नहीं	0	नहीं	नहीं	नहीं
14	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	6.64	241.72	10.69	हाँ	5	स्वतंत्र निदेशक	2	नहीं	0	नहीं	नहीं	नहीं
15	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	28.5	16.77	196.15	हाँ	2	स्वतंत्र निदेशक	2	नहीं	2	नहीं	हाँ	नहीं
16	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	16.51	0.94	2.47	हाँ	2	स्वतंत्र निदेशक	2	नहीं	0	नहीं	नहीं	नहीं
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2.65	0.34	10.9	नहीं	2	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	चुकता पूंजी	टर्नओवर	समुच्चय बकाया ऋण, ऋणपत्र एवं जमाराशियाँ	क्या मानदण्ड पूरे किए गये	2022-23 में आयोजित निदेशक मण्डल बैठकों की संख्या	आवश्यकता		आवश्यकता के सापेक्ष वास्तविक उपलब्धता			
								स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशक की घोषणा स्थिति	स्वतंत्र निदेशक	2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	लेखापरीक्षा समिति	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
18	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (लेखा प्राप्त नहीं हुए)	उपलब्ध नहीं किया गया	0	0	0	नहीं	1		लागू नहीं	स्वतंत्र निदेशक की घोषणा स्थिति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19	उत्तराखण्ड इको-टूरिज्म विकास निगम	2017-18	0.05	0	5	नहीं	शून्य		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.7.1; पृष्ठ 43)

रा सा क्षे उ में आंतरिक लेखापरीक्षा ढाँचे की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष*	आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए किसी भी शर्त की पूर्ति		क्या मानदंड पूरे हुए हैं	
				चुक्ता पूँजी ₹ 50 करोड़ या अधिक	बकाया ऋण/ बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से उधार ₹ 100 करोड़ या अधिक जमा राशि		
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2021-22	1529.91	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	हाँ
2	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	2021-22	723.88	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	हाँ
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	2021-22	1396.5	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	हाँ
4	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2021-22	10	0	0	हाँ
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22	2021-22	4	154.13	0	नहीं
6	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2022-23	2021-22	6	120.31	37.09	आवश्यक नहीं है
7	किच्छा शहर कम्पनी लिमिटेड	2022-23	2021-22	17.99	207.4	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	1	499.5	0	आवश्यक नहीं है
9	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	0.1	0	0	0
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	2021-22	0.4	0	0	0
11	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	1.07	11.54	3.09	0
12	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	4.08	43.42	19.57	0

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष*	आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए किसी भी शर्त की पूर्ति				क्या मानदंड पूरे हुए हैं
				चुकता पूँजी ₹ 50 करोड़ या अधिक	₹ 200 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर	बकाया ऋण/ बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से उधार ₹ 100 करोड़ या अधिक	₹ 25 करोड़ या उससे अधिक की बकाया जमा राशि	
13	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2006-07	2006-07	13.42	113.1	32.11	0	
14	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2017-18	6.64	241.72	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	हाँ
15	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2017-18	28.5	16.77	196.15	आवश्यक नहीं है	हाँ
16	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2011-12	16.51	0.94	2.47	0	
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2008-09	2.65	0.34	10.9	0	
18	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (खाते प्राप्त नहीं हुए)	उपलब्ध नहीं किया गया	उपलब्ध नहीं किया गया	0	0	0	0	नहीं
19	उत्तराखण्ड इको-टूरिज्म विकास निगम	2017-18	2017-18	0.05	0	5	0	

\* वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पिछला वित्तीय वर्ष 2021-22 था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2021-22 से पहले के लिए, उसी वर्ष को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष माना जाता है।

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.1 एवं 4.1.7.1; पृष्ठ 45 एवं 50)

टैरिफ के आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणी को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	भार
1.	आर टी एस-1: घरेलू आर टी एस-1 A: स्नोबाउंड	केवल घरेलू उपयोग के लिए बर्फीले क्षेत्रों में घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए
2.	आर टी एस-2: गैर-घरेलू	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान, 4 किलोवाट तक के छोटे गैर-घरेलू उपभोक्ताओं जिनकी खपत 50 यूनिट प्रति माह तक हो, मल्टीप्लेक्स, मॉल कॉम्प्लेक्स जिसमें सामान्य सुविधाएं शामिल हैं, वाणिज्यिक स्टैंडअलोन स्वतंत्र विज्ञापन बोर्डिंग्स
3.	आर टी एस-3: सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता संस्थान	सभी सरकारी उपयोगिताओं जैसे सार्वजनिक लैंप, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, ट्राफिक सिग्नल, सार्वजनिक पार्क, राज्य नलकूप, पंप नहरें और सिंचाई प्रणाली, सार्वजनिक जल कार्य, जल संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल निगम या अन्य स्थानीय निकाय और प्लास्टिक पुनः उपयोग यंत्र
4.	आर टी एस-4: निजी ट्यूबवेल/पम्पिंग सेट आर टी एस-4A: कृषि संबद्ध गतिविधियाँ	सिंचाई प्रयोजनों के लिए निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों के लिए और आकस्मिक कृषि प्रक्रिया के लिए भूसा कटर, थ्रेशर, गन्ना क्रशर और चावल की पतवार तक सीमित है। नर्सरी, पॉलीहाउस, मत्स्य पालन और मशरूम की खेती सहित फूल/सब्जियां और फल उगाने वाली अन्य इकाइयों के लिए
5.	आर टी एस-5: एल टी और एच टी उद्योग एल टी उद्योग: 75 किलोवाट तक एच टी उद्योग: 75 किलोवाट से ऊपर	1. उद्योग और/या प्रसंस्करण या कृषि-औद्योगिक प्रयोजन हेतु विद्युत करघा तथा चाप/इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग/री-रोलिंग मिलों, लघु इस्पात संयंत्रों तथा अन्य विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो किसी अन्य दर अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, 2. सब्जी, फल, फूलों की खेती और मशरूम की एकीकृत इकाइयां जो खेती के साथ-साथ प्रसंस्करण, भंडारण और पैकेजिंग में लगी और जो आर टी एस -4 ए के अन्तर्गत आच्छादित नहीं की गई वे इकाइयां भी इस दर अनुसूची के अन्तर्गत आच्छादित की जाएंगी।
6.	आर टी एस-6: मिश्रित भार	75 किलोवाट से अधिक का एकल बिंदु थोक आपूर्ति कनेक्शन जहां आपूर्ति मुख्य रूप से घरेलू प्रयोजनों (60 प्रतिशत से अधिक घरेलू भार के साथ) और अन्य गैर-घरेलू उद्देश्यों के लिए भी उपयोग की जाती है। यह अनुसूची एम ई एस को आपूर्ति पर भी लागू होती है
7.	आर टी एस-7: रेलवे कर्षण	रेलवे द्वारा कर्षण प्रयोजन हेतु उपयोग की जाने वाली शक्ति के लिए
8.	आर टी एस-8: इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन	वाणिज्यिक आधार पर चार्जिंग सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए।
9.	आर टी एस-9: अस्थायी आपूर्ति	1. रोशनी/सार्वजनिक संबोधन/समारोह और उत्सव/समारोहों/ अस्थायी दुकानों सहित सभी प्रयोजनों जो तीन महीने से अधिक न हो, के लिए प्रकाश, पंखे और बिजली भार की अस्थायी आपूर्ति के लिए।

क्र. सं.	श्रेणी	भार
		<p>2. सरकारी विभागों सहित सभी उपभोक्ताओं द्वारा सिविल कार्य सहित निर्माण प्रयोजनों के लिए ली गई विद्युत के लिए। किसी भी कार्य/परियोजना के लिए निर्माण उद्देश्यों के लिए विद्युत पर निर्माण कार्य के लिए पहला कनेक्शन लेने की तिथि से कार्य/परियोजना के पूरा होने तक विचार किया जाएगा</p>

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1; पृष्ठ 58)

विद्युत वितरण खण्डों में वितरण हानि को दर्शाने वाला विवरण

(मि इ में)

क्र. सं.	विद्युत वितरण खण्ड का नाम	2023-24	2022-23	2021-22
1	धारचूला	37.86	37.77	40.35
2	नारायणबगड़	37.19	39.64	26.60
3	बागेश्वर	34.11	28.05	29.31
4	रुड़की शहरी	33.21	33.66	34.83
5	रामनगर (रुड़की)	31.62	30.04	27.34
6	रुड़की ग्रामीण	31.50	31.09	31.21
7	उत्तरकाशी	30.28	30.12	34.03
8	लक्सर	27.93	28.07	27.99
9	रानीखेत	27.75	18.71	16.70
10	बड़कोट	27.30	27.31	28.29
11	भिकियासैण	27.21	19.79	20.39
12	रुद्रपुर-II	26.16	30.76	34.88
13	नैनीडांडा	24.29	15.60	
14	चम्पावत	21.95	18.63	23.46
15	टिहरी	21.38	21.48	24.34
16	ज्वालापुर	20.61	21.04	23.19
17	पिथौरागढ़	20.54	22.24	25.00
18	पौड़ी	18.68	18.17	17.37
19	रुद्रप्रयाग	18.25	22.71	19.02
20	गोपेश्वर	18.20	26.10	19.58
21	गैरसैण	18.10	24.79	32.54
22	हल्द्वानी शहरी	17.79	17.92	17.94
23	किच्छा	17.59		
24	विकासनगर	17.14	17.76	10.34
25	रामनगर	16.96	14.01	14.02
26	खटीमा	16.84	19.82	14.43
27	भगवानपुर	14.17	15.50	13.92
28	बाजपुर	12.70	13.50	14.94
29	सितारगंज	12.40	14.83	8.50
30	नैनीताल	12.08	12.56	16.56
31	हल्द्वानी ग्रामीण	11.48	11.50	12.18
32	अल्मोड़ा	10.19	13.07	15.09
33	ऋषिकेश	8.16	9.85	9.01
34	देहरादून (उत्तर)	7.88	5.46	5.00
35	जसपुर	7.73	9.24	13.37

क्र. सं.	विद्युत वितरण खण्ड का नाम	2023-24	2022-23	2021-22
36	श्रीनगर	7.66	8.15	10.68
37	काशीपुर	7.54	7.00	6.81
38	रायपुर	7.14	9.63	9.80
39	हरिद्वार शहरी	7.07	5.72	4.05
40	डोईवाला	6.85	6.87	8.59
41	देहरादून (दक्षिण)	6.47	5.46	5.77
42	मोहनपुर	5.60	7.05	7.32
43	देहरादून (मध्य)	5.05	4.40	5.42
44	कोटद्वार	3.73	3.24	4.24
45	रुद्रपुर-I	2.95	8.06	7.01
46	हरिद्वार ग्रामीण	0.02	0.81	0.32

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1; पृष्ठ 66)

आई डी एफ/आर डी एफ/एन ए/एन आर के लिए उ पा का लि के विरुद्ध पारित सी जी आर एफ/ लोकपाल के निर्णय को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	लोकपाल और सी जी आर एफ मामले/ आदेश की तिथि	मामले का संक्षिप्त विवरण	निर्णय का सारांश
1	जगमोहन सिंह राणा बनाम वि वि ख बड़कोट- 28 अक्टूबर 2020	उपभोक्ता को एन ए/एन आर/आई डी एफ आधार पर 112 बिलिंग चक्रों का ₹ 1.89 लाख का अनंतिम बिल जारी किया गया। उपभोक्ता ने सी जी आर एफ में शिकायत की थी। 22 जुलाई 2020 को सी जी आर एफ ने उपभोक्ता के विरुद्ध निर्णय दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल में अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) 2020 के अनुसार उ पा का लि केवल दो या तीन बिलिंग चक्रों की वसूली कर सकती है। उ पा का लि उपभोक्ता से ₹ 6,850 ही वसूली कर सकती है। इसके अतिरिक्त, आदेश दिया कि संबन्धित विनियमों में निर्धारित अवधि के आगे की अवधि के लिए एन ए/एन आर/आ ई डी एफ बिलिंग की अस्वीकृति के कारण होने वाली राजस्व हानि को उ पा का लि द्वारा वहन नहीं किया जा सकता तथा इस हानि को संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूल किया जाना चाहिए।
2	दया पांडे बनाम वि वि ख (शहरी) तिकोनिया हल्द्वानी - 29 जून 2020	उपभोक्ता को आर डी एफ/एन आर के आधार पर 77 माह का ₹ 50,529 अनंतिम बिल जारी किया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 20 जून 2020 को उपभोक्ता के विरुद्ध निर्णय दिया। उसके बाद उपभोक्ता ने लोकपाल में अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम 2020 के अन्तर्गत उ पा का लि केवल दो बिलिंग चक्रों के बिल वसूल सक हैं। उ पा का लि को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने लगातार विद्धुत की आपूर्ति की है इसलिए इस तरह के विद्धुत बिल की लागत को संबंधित कर्मचारियों से वसूल किया जाना ही उचित होगा।
3	सुमन गिरी बनाम वि वि ख लक्सर - 30 अगस्त 2019	एन ए/एन आर/आई डी एफ के आधार पर 39 बिलों का ₹ 50,000 का अनंतिम बिल उपभोगता को निर्गत किया गया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 13 मार्च 2019 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल में अपील की।	लोकपाल ने आदेश में कहा गया कि उ पा का लि को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए इस तरह के विद्धुत बिल की लागत को संबंधित कर्मचारियों से वसूल किया जाना ही उचित होगा। अनंतिम बिल की राशि ₹ 50,000 में से उ पा का लि ने ₹ 20,000 संबंधित कर्मचारियों से

क्र. सं.	लोकपाल और सी जी आर एफ मामले/ आदेश की तिथि	मामले का संक्षिप्त विवरण	निर्णय का सारांश
			वसूल किए गए, शेष ₹ 30,000 उपभोक्ता से वसूले जा सकते हैं।
4	पंकज सिंघल बनाम वि वि ख बाजपुर - 27 दिसम्बर 2019	मार्च 2016 से अगस्त 2017 की अवधि के लिए आई डी एफ आधारित ₹1.02 लाख (21,074 यूनिट) का अनंतिम बिल उपभोक्ता को निर्गत किया गया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 03 अगस्त 2019 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में निर्धारित अवधि से अधिक के आई डी एफ बिल को अस्वीकृत कर दिया। उ पा का लि को बिल को 21,074 से घटाकर 3,586 यूनिट तक संशोधित करने का निर्देश दिया।
5	केशरी कान्त नौटियाल बनाम वि वि ख उत्तरकाशी - 16 मार्च 2022	एन आर के आधार पर ₹ 1.12 लाख (12 बिलिंग चक्रों) का अनंतिम बिल निर्गत किया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 16 दिसम्बर 2021 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि 12 में से 10 एन आर बिल, संबन्धित विनियमों के अंतर्गत वसूल नहीं किए जा सकते एवं निर्देशित किया कि इन 10 बिलों की राशि गलती करने वाले कर्मचारियों से वसूली जाए।
6	तीर्थपाल बनाम वि वि ख (ग्रामीण) रुड़की - 31 जनवरी 2020	उपभोक्ता को मई 2009 - जुलाई 2013 के लिए आई डी एफ आधारित ₹ 92,801 का अनंतिम बिल निर्गत किया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 06 नवम्बर 2019 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में संबन्धित विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि से अधिक आई डी एफ बिलिंग को अस्वीकृत कर दिया। उ पा का लि को मई 2009-2013 के आई डी एफ बिल हटाने का निर्देश दिया। ₹ 92,801 में से केवल ₹ 65,184 ही वसूले गए।
7	उमेश कुमार बनाम वि वि ख भगवानपुर - 18 फरवरी 2019	एन आर के आधार पर पाँच वर्षों से अधिक अवधि का ₹ 1.12 लाख का बिल उपभोक्ता को निर्गत किया गया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 30 अक्टूबर 2018 को उपभोक्ता के विरुद्ध	लोकपाल ने अपने आदेश में संबन्धित विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि से अधिक एन आर बिलिंग को अस्वीकृत कर दिया। एवं संबन्धित विनियमों के विरुद्ध पाँच वर्षों से अधिक की एन आर बिलिंग के कारणों तथा जिम्मेदार अधिकारियों की

क्र. सं.	लोकपाल और सी जी आर एफ मामले/ आदेश की तिथि	मामले का संक्षिप्त विवरण	निर्णय का सारांश
		फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	जवाबदेही तय करते हुये उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। अनंतिम बिल की राशि ₹ 1.12 लाख में से अभी भी ₹ 37,083 की वसूली लंबित है।
8	संजय कुमार द्विवेदी बनाम वि वि ख रुद्रपुर- 21 अक्टूबर 2019	नवंबर 2017 में मीटर बदले जाने के बाद भी जनवरी 2018-जनवरी 2019 के आर डी एफ/एन आर बिल जारी किए गए। इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 30 अक्टूबर 2018 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में दो बिल से अधिक एन आर बिल हटाने के लिए निर्देशित किया।
9	राजकुमार बनाम वि वि ख (शहरी) रुड़की - 08 दिसम्बर 2023	उपभोक्ता को आई डी एफ/एन ए/एन आर आधार पर लगभग 10 वर्ष का ₹ 88,820 का अनंतिम बिल निर्गत किया गया। इसके विरुद्ध उपभोक्ता ने सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 25 अक्टूबर 2021 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) 2020 के अन्तर्गत उ पा का लि द्वारा केवल दो बिलिंग चक्र वसूले जा सकते हैं एवं शेष नियमानुसार नहीं है। आगे, आई डी एफ/एन ए/ एन आर बिल के दो बिलों से अधिक की राशि यदि गणना योग्य है एवं विनियमों एवं टैरिफ आदेशों के विरुद्ध बिल के निर्गत करने वाले संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर ऐसे बिल की वसूली उनसे की जाये।
10	सी जी आर एफ केस: करणपाल सिंह बनाम वि वि ख लक्सर - 17 दिसम्बर 2020	आई डी एफ आधार पर 7 वर्षों का ₹48,896 अनंतिम बिल उपभोक्ता को निर्गत किया गया।	सी जी आर एफ ने निर्धारित विनियमों के अंतर्गत अवधि से अधिक आई डी एफ बिलिंग को अमान्य घोषित किया। उ पा का लि द्वारा उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) 2020 के अन्तर्गत केवल दो बिलिंग चक्र वसूले जा सकते हैं।

## परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1 एवं 4.1.8.3, पृष्ठ 67 एवं 90)

## उ पा का लि के खिलाफ लोकपाल के फैसलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियां
1	19 जुलाई 2023 मै किशन ब्रदर्स बनाम वि वि ख (मध्य) सीडी0के000009585	<p>एम आर आई अध्ययन में 318 दिनों के लिए कम/ अनुपलब्ध वोल्टेज। जांच मीटर अध्ययन से पता चला कि मीटर 70 प्रतिशत धीमा चल रहा था। तदानुसार, चेक मीटर अध्ययन के आधार पर ₹ 9.58 लाख का अनुपूरक बिल निर्गत किया गया।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 12 मई 2023 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि मीटर के 70 प्रतिशत तक धीमी गति से चलने की सूचना देने वाले चेक मीटर अध्ययन के परिणामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसलिए ₹ 9.58 लाख की मांग न्याय संगत नहीं है क्योंकि इसमें संगत विनियमों का उल्लंघन है। सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया था और उक्त राशि की मांग को भी रद्द कर दिया गया था।</p>	<p>आदेश में यह भी कहा गया था कि लोकपाल द्वारा प्रबंध निदेशक, उ पा का लि और अन्य अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए कई पत्र लिखे गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मामलों के दौरान (जांच मीटर/एन ए बी एल मान्यता आदि की स्थापना के दौरान सम्यक बुद्धिमत्ता का प्रयोग) उनके द्वारा संबंधित उ वि नि आ के नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से किया जाए। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि या तो उ पा का लि प्रबंधन द्वारा अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं या क्षेत्रीय अधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे मामलों में बार-बार समान या एक ही प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पुनः यह सलाह दी गई थी कि वे प्रकरण की जांच करें और सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करें जिसमें उन्हें उ वि नि आ के संगत विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाये।</p>
2.	19 जुलाई 2023 मै. देहरादून प्रीमियर मोटर बनाम वि वि ख दक्षिण एसडी0के00000684	<p>एम आर आई रिपोर्ट (रिपोर्टों) में अनियमितता पाए जाने पर एक जांच मीटर अध्ययन किया गया था और यह पाया गया था कि मीटर रिकॉर्डिंग 27 प्रतिशत धीमी थी, तदनुसार, ₹ 4.70 लाख का अनुपूरक बिल निर्गत किया गया था।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 15 मई 2023</p>	<p>आदेश में, लोकपाल ने, प्र नि, उ पा का लि को एक बार फिर इस प्रकरण की जांच करने और सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने की सलाह दी जिसमें उन्हें उ वि नि आ के संगत विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाये।</p>

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियां
		<p>को मामले पर निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि मीटर के 27 प्रतिशत तक धीमी गति से चलने को दर्शाने वाले चेक मीटर अध्ययन के परिणाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और चेक मीटर अध्ययन करने और ₹ 4.70 लाख रुपए की मांग बढ़ाने की संपूर्ण प्रक्रिया संबंधित विनियमों का उल्लंघन करते हुए न्याय संगत नहीं थी। सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया था और उक्त राशि की मांग को भी निरस्त कर दिया गया था।</p>	
3	03 मार्च 2023 मै. फेरेटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम वि वि ख भगवानपुर बीएच0के00000422	<p>वाई चरण का बाहरी सी टी, संतृप्त होने के कारण मीटर को वास्तविक करंट प्रवाहित नहीं कर रहा था इसलिए जांच मीटर अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चला कि मीटर 16 प्रतिशत धीमा चल रहा था। तदनुसार, ₹ 54.68 लाख का अनुपूरक बिल जारी किया गया। उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 30 नवम्बर 2022 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि पूरा जांच मीटर अध्ययन दूषित हो गया था इस प्रकार, इस तरह के दूषित अध्ययन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है इसलिए इसके परिणामों को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।</p> <p>सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया और उक्त मांग की</p>	<p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि संपूर्ण चेक मीटर अध्ययन दूषित था, और इसके परिणाम को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इस तरह के दूषित जांच मीटर अध्ययन के आधार पर कोई पूरक मांग नहीं उठाई जा सकती। उ पा का लि को ₹ 54.68 लाख की मांग वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उपभोक्ता द्वारा जमा की गई उक्त आक्षेपित मांग का 50 प्रतिशत वापस करने का निर्देश दिया।</p>

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियां
		गई राशि को भी निरस्त कर दिया गया।	
4	27 फरवरी 2023 सुरजीत कौर जॉली बनाम वि वि ख (दक्षिण) एसडी0के00003216	<p>एम आर आई रिपोर्ट में मई 2019 से आर&amp;बी चरणों पर विद्युत करेंट कम दिखाई दे रहा था। जांच मीटर अध्ययन किया गया और तदनुसार, ₹ 6.01 लाख का अनुपूरक बिल जारी किया गया था।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 17 दिसम्बर 2022 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि प्रासंगिक नियमों और अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि जांच मीटर के रूप में स्थापित मीटर की सत्यता की जानकारी जांच मीटर की स्थापना शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी। इसलिए, मीटर के 67 प्रतिशत धीमी गति से चलना दर्शाने वाले जांच मीटर अध्ययन के परिणाम पर संगत विनियमों का उल्लंघन करने के कारण भरोसा नहीं किया जा सकता।</p> <p>सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया और उक्त के सापेक्ष मांग की गई राशि को भी निरस्त कर दिया गया।</p>	लोकपाल ने एक बार फिर प्र नि, उ पा का लि को इस मामले को देखने और सभी फील्ड अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने की सलाह दी और उन्हें प्रासंगिक उ वि नि आ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।
5	20 फरवरी 2023 अनिल कुमार गर्ग बनाम वि वि ख (दक्षिण) एसडी0के000123896	<p>नए संयोजन के जारी होने के पहले दिन से एम आर आई में आर&amp;बी चरणों पर कम वोल्टेज (नवंबर 2019) प्रदर्शित हो रहा था। अनुपूरक बिल ₹ 3.38 लाख का जारी किया गया।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त</p>	प्र नि, उ पा का लि को जांच मीटर अध्ययन संबंधी उ वि नि आ के संगत विनियमों और अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सभी फील्ड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की सलाह दी गई थी।

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियां
		<p>उपभोक्ता के विरुद्ध 18 नवम्बर 2022 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि जांच मीटर के रूप में स्थापित मीटर की सत्यता सुनिश्चित नहीं की गई थी क्योंकि उक्त मीटर का एन ए बी एल मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, इसलिए मीटर को 39 प्रतिशत धीमा घोषित करने वाले जांच मीटर अध्ययन के परिणामों पर संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के कारण भरोसा नहीं किया जा सकता है।</p> <p>सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया और उक्त के सापेक्ष मांग राशि को भी निरस्त कर दिया गया।</p>	
6	<p>27 जून 2022</p> <p>पेस्टलवीड स्कूल ओकहिल एस्टेट बनाम वि वि ख (उत्तर)</p> <p>700के000000610</p>	<p>वाई - चरण शून्य दिखा रहा था। चेक मीटर लगाया गया तो पता चला कि मीटर 35 प्रतिशत धीमा था तथा ₹ 4.70 लाख का मूल्यांकन किया गया था।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 24 फरवरी 2022 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>चेक मीटर का एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रमाणित नहीं होने के कारण लोकपाल द्वारा मामले को रद्द कर दिया गया था।</p>	<p>लोकपाल ने जले हुए मीटर को बदलने में देरी के लिए ₹ 21,150 का मुआवजा भी दिया। उ पा का लि को ₹4.70 लाख की राशि की मांग वापस लेने और उपभोक्ता द्वारा जमा की गई ₹ दो लाख की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था।</p>
7	<p>25 अप्रैल 2022</p> <p>विंडलास हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम वि वि ख (दक्षिण)</p>	<p>मै. वाई एम पी एल के परीक्षण में, गलत फेज जुड़ जाने के कारण मीटर 34 प्रतिशत तक धीमा चल रहा था। फेज का अनुक्रम RYB से RBY में बदल गया था। फेज अनुक्रम बदलने</p>	<p>आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि उ पा का लि ने उपभोक्ता के मीटर उपकरण का आवधिक परीक्षण (वर्ष में एक बार) नहीं किया। साथ ही उपभोक्ता द्वारा उक्त मांग के विरुद्ध</p>

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियाँ
	एसडी0के000006639	<p>के कारण 986 दिनों के लिए मीटर द्वारा 34 प्रतिशत कम रिकॉर्डिंग की गयी। उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 17 जुलाई 2021 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि स्थापित मीटरों की शुद्धता और सटीकता का परीक्षण एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नहीं किया गया है और इस तरह के जांच मीटर अध्ययन द्वारा उठाई गई मांग को वास्तविक मांग (₹ 1.81 करोड़) के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।</p> <p>सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया और उ पा का लि द्वारा ₹ 1.81 करोड़ की मांग को भी निरस्त कर दिया गया।</p>	जमा की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया।
8	<p>18 फरवरी 2022</p> <p>उप महानिरीक्षक आई टी बी पी अकादमी बनाम वि वि ख (उत्तर)</p> <p>700के00000837</p>	<p>लगाए गए जांच मीटर 52 प्रतिशत धीमे पाए गए और ₹ 14.74 लाख की मांग जारी की गयी।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 25 नवम्बर 2021 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षण के परिणाम विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उ पा का लि के मीटर का परीक्षण संबंधित विनियमों के अन्तर्गत एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नहीं किया गया था।</p>	<p>जांच मीटर अध्ययन को शून्य एवं निरर्थक माना गया था और इसलिए इस तरह के अध्ययन के आधार पर मूल्यांकन भी शून्य माना गया है और मूल्यांकन की राशि को वापस लेने का निर्देश दिया गया है।</p> <p>यह भी निर्देश दिया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गई कोई भी राशि समायोजन के माध्यम से वापस की जाए।</p>

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1; पृष्ठ 69)

अधिक भार/माँग दण्ड लगाने में विलंब के कारण हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ में)

क्र. सं.	उपभोक्ता संख्या	लोड (किलोवाट <sup>3</sup> )	एम डी की रेंज (के वी ए) <sup>4</sup>	चार गुना जुर्माना
1	370के000004285	70	102 - 173	2,03,658.00
2	370के000004383	38	84 - 232	5,58,131.00
3	370के000024017	75	126 - 754	6,56,986.00
4	370के000030780	75	138 - 174	1,95,796.00
5	370के000098778	70	86 - 120	1,46,132.00
6	370के000098781	75	91 - 200	4,81,429.60
7	370के000098789	75	91 - 149	2,47,444.00
8	370के000098809	75	121 - 146	2,22,045.60
9	370के000098828	75	91 - 124	1,22,605.00
10	370के000098872	75	122 - 188	3,33,712.00
11	890के000021989	26	112 - 143	8,64,904.00
12	880के000022554	70	110 - 161	5,21,146.00
13	880के000026151	75	91 - 156	1,47,286.00
14	880के000029385	75	96 - 137	3,11,976.40
15	880के000029607	75	100 - 164	2,48,752.00
16	880के000030626	75	104 - 298	3,19,660.00
17	880के000193095	75	119 - 167	1,97,754.00
18	880के000193103	70	92 - 209	8,59,083.60
19	890के000003988	75	91 - 179	3,28,874.00
20	890के000004359	75	98 - 153	2,33,164.00
21	890के000004374	75	113 - 204	4,11,710.00
22	890के000024768	75	105 - 134	1,77,790.00
23	890के000024908	75	103 - 205	1,91,930.00
24	890के000025629	50	94 - 504	5,97,556.00
25	890के000026431	75	92 - 200	2,42,704.50
26	890के000028378	73	95 - 150	2,39,960.00
27	890के000029278	75	100 - 137	2,96,090.00
28	890के000243160	75	98 - 167	2,41,257.00
29	एचआर0के000002003	65	103 - 197	5,59,742.00
30	एचआर0के000002648	75	89 - 168	2,36,397.00
31	एचआर0के000118479	28	99 - 121	1,41,491.00

<sup>3</sup> किलो वाट।

<sup>4</sup> किलो वोल्ट एम्पीयर।

क्र. सं.	उपभोक्ता संख्या	लोड (किलोवाट <sup>3</sup> )	एम डी की रेंज (के वी ए) <sup>4</sup>	चार गुना जुर्माना
32	एचआर0के000118592	75	204 - 224	2,16,423.00
33	केएच0के000028530	75	117 - 157	2,28,552.00
34	केएच0के000221017	75	113 - 174	1,83,756.00
35	आरएम0के00700801	74	95 - 132	1,67,568.00
36	जेएस0के000028616	75	99 - 169	3,62,572.00
37	जेएस0के000028613	75	113 - 145	2,77,868.00
38	केएच0के000028347	75	99 - 137	1,41,624.00
39	जेडब्ल्यू0के000009171	75	198 - 497	20,42,376.20
40	जेएस0के000400093	75	94 - 119	1,82,820.00
41	जेएस0के000400085	75	113 - 153	2,40,874.00
42	जेएस0के000400028	70	98 - 163	5,24,076.00
43	आरआर0के000880030	75	138 - 195	8,12,153.80
<b>योग</b>				<b>1,59,17,829.70</b>

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1; पृष्ठ 70)

जाँच के लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	अधिकारी	मासिक जाँच लक्ष्य	वार्षिक जाँच लक्ष्य
1.	मुख्य अभियंता (डी)	न्यूनतम 20 उपभोक्ता जिनमें से कम से कम 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं का संयोजन भार $\geq 2000$ (के वी ए) हों	कार्यपालक अभियंता (वितरण) से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि 50 किलोवाट और उससे अधिक के अनुबंधित भार वाले सभी उपभोक्ताओं की वर्ष में कम से कम एक बार जांच की जाए।
2.	अधीक्षण अभियंता (डी)	20 उपभोक्ता जिनमें से कम से कम 20 प्रतिशत उपभोक्ता $\geq 500$ के वी ए संयोजन भार वाले हों।	
3.	अधिशाली अभियंता (डी)	न्यूनतम 30 उपभोक्ता जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं का संयोजन भार $\geq 75$ किलोवाट) है।	
4.	उप-विभागीय अधिकारी	न्यूनतम 30 उपभोक्ता जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत उपभोक्ता का संयोजन भार $\geq 25$ किलोवाट)	
5.	कनिष्ठ अभियंता (कअ)	400 उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग की 25 किलोवाट तक यादृच्छिक रूप से जांच की जानी है।	

## परिशिष्ट-4.7

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.2; पृष्ठ 74)

पाँच प्रभागों की संग्रहण क्षमता दर्शाने वाला विवरण

(प्रतिशत में)

खण्ड का नाम/माह	विकास नगर	हल्द्वानी (शहरी)	रामनगर (रुड़की)	रुड़की (शहरी)	हल्द्वानी (ग्रामीण)
अप्रैल 2021	38.82	31.46	49.63	34.97	30.35
मई 2021	41.41	42.50	61.05	51.96	50.25
जून 2021	48.65	47.68	65.25	58.16	57.70
जुलाई 2021	57.73	51.44	68.05	62.69	59.52
अगस्त 2021	68.74	53.35	74.13	69.01	66.21
सितम्बर 2021	64.64	55.58	74.68	72.28	68.87
अप्रैल 2022	49.19	39.28	45.00	55.52	42.69
मई 2022	53.69	43.92	56.85	61.88	60.23
जून 2022	57.22	51.13	66.99	67.40	67.46
जुलाई 2022	71.68	56.46	69.01	72.54	77.24
अगस्त 2022	77.75	59.53	73.27	75.42	80.15
सितम्बर 2022	78.88	62.77	74.97	76.80	82.80
अप्रैल 2023	50.65	41.08	43.86	55.52	47.82
मई 2023	59.47	52.22	64.67	73.18	66.00
जून 2023	67.54	55.25	69.02	74.69	73.65
जुलाई 2023	67.15	59.27	69.43	73.22	75.99
अगस्त 2023	67.81	62.52	66.07	75.79	76.21
सितम्बर 2023	69.09	65.05	77.12	77.07	79.33

परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.2; पृष्ठ 74)

तिमाही के अंत में बकाया दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

आर टी एस	तिमाही	आर टी एस-1	आर टी एस-2	आर टी एस-3	आर टी एस-4	आर टी एस-4
2021-22	1	801.72	392.48	806.36	189.83	471.10
	2	898.85	412.21	869.06	194.93	539.49
	3	906.68	408.76	883.69	212.68	527.97
	4	661.10	317.39	779.29	188.56	342.25
2022-23	1	794.32	386.51	885.88	211.79	542.50
	2	868.33	379.94	933.71	211.30	557.97
	3	894.90	377.69	990.14	233.55	552.99
	4	750.99	294.18	633.12	208.86	304.57
2023-24	1	851.36	358.21	731.91	218.62	524.22
	2	990.44	385.41	817.05	226.11	526.40
	3	1014.89	385.70	820.63	250.32	503.17
	4	868.85	272.07	705.22	230.40	156.55

## परिशिष्ट-4.9

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.2; पृष्ठ 86)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जी एस टी रिटर्न दाखिल करने वाले पी डी उपभोक्ताओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	सेवा कनेक्शन नं.	उपभोक्ता का नाम (मै.)	पी डी तिथि	बकाया राशि	जी एस टी आई एन
1	890के000024280	रुद्रा ऑटो टेक	28.07.2023	1,05,00,060	05AAF6R6126C1ZR
2	एमपी0के000002765	मोडिके प्राइवेट लिमिटेड	29.06.2021	21,62,712	05AAECM0397F1ZM
3	एचआर0के000005673	फ्रेश पेट प्राइवेट लिमिटेड	09.09.2021	19,74,039	05AABCF2039C1ZB
4	890के000003905	विंडल्स ऑटो लिमिटेड	11.01.2022	17,31,979	05AAACW1443L1ZE
5	एलके0के000147275	सिद्धि विनायक माइन	04.01.2023	7,52,958	05ACVFS8717P1Z0
6	6960101088873	राम कुमार मिश्र	16.12.2021	5,45,902	05ACOPM9576D1Z6
7	आरडी61508072972	इरशाद अहमद	24.10.2020	5,11,303	05CEJPA8886D1ZE
8	6901301037553	श्रीमती सत्या देवी	19.12.2022	3,88,977	05EZLPD7589H2ZT
9	जेडब्ल्यू0के000118386	चरण सिंह	31.07.2020	3,41,366	05CNXPS7977L1Zके
10	6960630023275	कमल किशोर सिंह	14.12.2022	3,16,842	05GACPS6192B1Z0
11	आरपी0के000016025	लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड	09.09.2022	3,10,330	05AAACL3449H1Z0
<b>योग</b>				<b>1,95,36,468</b>	

परिशिष्ट-4.10

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.3; पृष्ठ 93)

मानवशक्ति की अतिरिक्त तैनाती को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	खण्ड	पदनाम/पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	आधिक्य	को स्थिति
1	वि प ख शहरी	सहायक अभियंता	3	4	1	नवम्बर 2023
		कनिष्ठ अभियंता	6	17	11	
2	वि वि ख दक्षिण	सहायक अभियंता	5	6	1	दिसम्बर 2023
		कनिष्ठ अभियंता	10	14	4	
3	वि वि ख उत्तर	कनिष्ठ अभियंता	12	16	4	दिसम्बर 2023
		कार्यालय सहायक- द्वितीय	10	13	3	
4	वि वि ख मध्य	कनिष्ठ अभियंता	10	13	3	अक्टूबर 2023
5	वि वि म ग्रामीण (देहरादून)	कार्यालय सहायक	1	2	1	अक्टूबर 2023
6	वि प ख शहरी (देहरादून)	सहायक अभियंता (मीटर)	3	5	2	एन ए
		कनिष्ठ अभियंता	6	12	6	
देहरादून के क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती की स्थिति			66	102	36	
7	वि वि ख हल्द्वानी (शहरी)	लेखाकार	1	2	1	दिसम्बर 2023
		कार्यालय सहायक- द्वितीय	5	9	4	
8	वि प ख रुड़की	सहायक अभियंता	3	4	1	एन ए <sup>5</sup>
		कनिष्ठ अभियंता	6	11	5	
9	वि वि ख विकास नगर	सहायक अभियंता	3	4	1	दिसम्बर 2023
		कनिष्ठ अभियंता	6	15	9	
		कार्यालय सहायक- द्वितीय	5	6	1	
10	वि वि ख ऋषिकेश	कनिष्ठ अभियंता	9	15	6	एन ए
अन्य शहरी क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती की स्थिति			38	66	28	
कुल शहरी क्षेत्रों में तैनाती			104	168	64	
11	वि वि ख टिहरी	कनिष्ठ अभियंता	11	15	4	दिसम्बर 2023
<b>योग</b>			<b>115</b>	<b>183</b>	<b>68</b>	

<sup>5</sup> जानकारी उपलब्ध नहीं है।

## परिशिष्ट-4.11

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.3; पृष्ठ 93)

## मानवशक्ति की कमी को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	खण्ड	पदनाम/पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	कमी	को स्थिति
1.	वि वि ख कोटद्वार	कनिष्ठ अभियंता	15	13	2	सितम्बर 2023
		लेखाकार	2	1	1	
2.	वि वि ख श्रीनगर (गढ़वाल)	सहायक अभियंता	6	4	2	नवम्बर 2023
		कनिष्ठ अभियंता	16	9	7	
		लेखाकार	2	1	1	
		कार्यालय सहायक-द्वितीय	17	6	11	
3.	वि वि ख नारायनबगढ़	सहायक अभियंता	5	1	4	एन ए
		कनिष्ठ अभियंता	15	1	14	
		लेखाकार	2	0	2	
4.	विद्युत सिविल डिवीजन, हल्द्वानी	सहायक अभियंता	5	2	3	दिसम्बर 2023
		कार्यालय सहायक-द्वितीय	4	0	4	
		कनिष्ठ अभियंता	12	4	8	
<b>योग</b>			<b>101</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	

